

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1628 / 2013 / अलवर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, घट-द्वितीय, बांसवाडा

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स अल्का लेबोरेट्रीज प्रा.लि.
भिवाडी

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित

श्री आर.के. अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक
श्री विवेक सिंघल
अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 17.05.2017

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी विभाग की ओर से उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 108/आरवैट/2012-13/उपा/अपील्स/अलवर में पारित आदेश दिनांक 28.03.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, घट-द्वितीय-बांसवाडा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रु. 3,13,437/- को अपास्त किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 28.07.2012 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 खजरी जिला डूंगरपुर पर वाहन संख्या एम. एच.-04/एफ.जे. 2928 को किया गया। वक्त चेकिंग वाहन में एस.एस.रिसीवर, यूज्ड मशीनरी आईटम एवं कम्प्यूटर लदे हुए थे, जिससे सम्बन्धित दस्तावेज मांगे जाने पर बिल एवं बिल्टी, डिलीवरी चालान, डिलीवरी नोट तथा घोषणा पत्र वैट-47 संख्या 1297201 एवं 1297202 (दोहरी प्रति में) आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि उक्त घोषणा पत्रों के पाटी-बी के सभी कॉलम व पाटी सी के कालम संख्या 1 व 2 रिक्त है तथा घोषणा पत्रो नियत स्थानों पर पंच नहीं किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने घोषणा पत्र अपूर्ण पाये जाने के कारण अधिनियम की धारा 76 (2) सपठित नियम 53 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने के कारण करापवंचन के सन्देह में उक्त वाहन को अधिनियम की धारा 76(5)(ए) के तहत निरुद्ध किया जाकर वाहन चालक/माल प्रभारी के बयान कलमबद्ध किये गये। कर निर्धारण अधिकारी ने अपूर्ण घोषणा पत्र पाये जाने के कारण अधिनियम की धारा 76

(6) कें अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत उत्तर को सन्तोषजनक नहीं मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने इलैक्ट्रिक व इलैक्ट्रॉनिक माल की कीमत रू. 10,44,790/- पर अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रू. 3,13,437/-आरोपित कर शास्ति आदेश दिनांक 04.08.2012 पारित किया। उक्त शास्ति आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने अपील स्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति रू. 3,13,437/-को अपास्त किया है, जिससे क्षुब्ध होकर विभाग की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि परिवहनित माल से सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र वैट-47 संख्या 1297201 एवं 1297202 (दोहरी प्रति में) आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये,जिनकी जांच पर उक्त घोषणा पत्रों के पाटी-बी के सभी कॉलम व पाटी सी के कालम संख्या 1 व 2 रिक्त है तथा घोषणा पत्रो नियत स्थानों पर पंच नहीं किया गया है, पाये गये हैं,इसलिए अधिनियम की धारा 76 (2) के प्रावधानों का उल्लंघन होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रू. 3,13,437/- आरोपित की गई है,जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम की प्रावधानों के अनदेखी करते हुए विधि के विरुद्ध एवं प्रकरण के तथ्यों के प्रतिकूल अपीलाधीन आदेश पारित किया, जो अपास्तनीय है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.03.2013 को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि परिवहनित माल एस. एस.कन्डेन्सर, एस.एस.रिसीवर एवं यूज्ड मशीनरी आईटम से सम्बन्धित सभी वांछित दस्तावेज कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे, किन्तु उन्होंने उनको मिथ्या अथवा कूटरचित सिद्ध किये शास्ति आरोपित की है, जो उचित नहीं है। उनका कथन है कि परिवहनित माल इलैक्ट्रिक/इलैक्ट्रॉनिक सामान है बल्कि प्लाण्ट एण्ड मशीनरी के पार्ट है, जो राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचित वस्तुओं की सूची में सम्मिलित नहीं होने के कारण उक्त माल अधिसूचित वस्तुओं की श्रेणी में नही आने से इनके परिवहन के समय घोषणा पत्र वैट-47 की आवश्यकता नही थी। उनका कथन है कि नोटिस के जवाब के साथ प्रस्तुत उत्तर पर बिना विचार किये ही कर निर्धारण अधिकारी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी व अन्य के परिप्रेक्ष्य में शास्ति आरोपित करविवादित आदेश पारित किया गया है, जो अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि परिवहनित माल फार्म


सी पर आयात किया गया है, जिस पर नियमानुसार सीएसटी चुकाया गया है। उनका कथन है कि प्रस्तुत दस्तावेजों को मिथ्या अथवा कूटरचित सिद्ध किये बिना एवं दोषी मनोभाव सिद्ध किये बिना ही शास्ति आरोपण की कार्यवाही की गई, जो उचित नहीं है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पर पूर्ण रूप से विचार करके अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया साथ ही अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश पर दृष्टिपात किया गया है। पत्रावली के अवलोकन पर पाया जाता है कि वक्त जांच पाया गया माल कम्प्युटर, कन्डेन्सर रिसीवर है जो इलेक्ट्रीक एवं इलेक्ट्रोनिक माल है, जो अधिसूचित माल की श्रेणी में आता है, जिसके परिवहन के समय पूर्ण रूप से भरा हुए घोषणा पत्र वैट-47 होना चाहिए था। जबकि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वक्त चेकिंग परिवहनित माल से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर दस्तावेज के साथ घोषणा पत्र वैट-47 संख्या 1297201 एवं 1297202 (दोहरी प्रति में) आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, जिनकी जांच पर पाया गया कि उक्त घोषणा पत्रों के पार्ट-बी के सभी कॉलम व पार्ट सी के कालम संख्या 1 व 2 रिक्त है तथा घोषणा पत्रो नियत स्थानों पर पंच नहीं किया गया है, उक्त घोषणा पत्र पत्रावली के 14 एवं 15 पर उपलब्ध है। उक्त घोषणा पत्र के अवलोकन पर प्रथम दृष्टया जाहिर होता है कि वे अपूर्ण है। अपूर्ण घोषणा पत्रों को अधिनियम के अधीन विहित वांछित पूर्ण घोषणा पत्र नहीं माना जा सकता है। कर निर्धारण अधिकारी ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज के प्रकरण में प्रतिपादित मत के अनुसरण में अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की है, जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मै0 गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वा0क0अ0,18 टैक्स अपडेट 321 के प्रकरण में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि माल परिवहन के दौरान दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने अथवा अपूर्ण होने पर, कर चोरी की मंशा को प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है।

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों से स्पष्ट है कि वक्त जांच घोषणा पत्र वैट-47 अपूर्ण प्रस्तुत किये गये हैं, जिनकी अनदेखी करते हुए अपीलीय अधिकारी ने उ कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 3,1,3,437 / -58,320 / -को अपास्त किया है, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अतः अपीलाधीन आदेश को अपास्त कर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत की गई अपील स्वीकार की जाती है।

फलस्वरूप कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।


(मदन लाल मालवीय)
सदस्य